माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legistative Assembly)

क्र. / अका. / 2019 / 777 — भोपाल, दिनांक : 01/05/19 ....../ 04 / 2019

आदेश

एम.फिल / पीएच.डी.उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया 2016 के तारतम्य में विश्वविद्यालय में लागू वर्तमान पीएच.डी विनियम क्र. 22, 2010 को संशोधित किया गया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना क्र. / अका. / 2019 / 728 दिनांक 24.04.2019 अनुसार संशोधित विनियम भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 05 / 05 / 2016 से लागू किया गया है। तदानुसार विश्वविद्यालय के समस्त पीएच.डी. शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी शोध संक्षोपिका (Synopsis) की सॉफ्टकॉपी CD/DVD में विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

श्री संतोष. के. पुस्तकालय सहायक को समस्त शोध ग्रंथों को 'शोधगंगा' कोष एवं समस्त शोध संक्षेपिकाओं को 'शोधगंगोत्री' कोष में अपलोड करने का दायित्व दिया जाता है। श्री संतोष. के. समस्त शोध ग्रंथ, जो सॉफ्टकॉपी CD/DVD में उपलब्ध हैं, को 'शोधगंगा' कोष में अपलोड करेंगे तथा आगामी शोधग्रंथों को एक पृष्ठीय साहित्यिक / ग्रंथ चोरी प्रतिवेदन सहित अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त शोद्यार्थियों की शोध संक्षोपिका (Synopsis) को 'शोधगंगोत्री' कोष में अपलोड करेंगे।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

पृ.क. / अका. / 2019 / 778 — भोपाल,दिनांक....... / 04 / 2019 01/05/19

प्रतिलिपि–

1. मा.कुलपति,कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
2. डीन अकादमिक को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षगणों / समस्त परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. विश्वविद्यालय के समस्त पीएच.डी. उपाधिधारियों एवं पी.एच.डी.शोधार्थियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. आदेश पुस्तिका।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव